



Neutral Citation No. - 2026:AHC:42735

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 6895 वर्ष 2026

शिशुपाल सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: ज्ञान प्रकाश मिश्रा

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, उपेंद्र कुमार पुष्कर

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री चंदन सिंह, राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस जमानत याचिका के माध्यम से, आवेदक शिशुपाल सिंह, मामला संख्या 100/2024, धारा 376, 328, 506 आईपीसी, थाना-अतरौली, जिला अलीगढ़ में जमानत की मांग कर रहा है।
3. एफआईआर में पीड़िता का आरोप है कि 30.07.2023 को जब वह पास के ट्यूबवेल से अपने धान के खेत की सिंचाई करने गई थी, तब आरोपी ने उसे कोई नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद, वह उसे वहां स्थित एक कोठरी में ले गया और उसके कपड़े उतारकर उसके साथ बलात्कार किया। उसने घटना का वीडियो भी बनाया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। वह वीडियो को वायरल करने के लिए उसे ब्लैकमेल भी करता था और उसे फोन करके उसके साथ बलात्कार करता था।
4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बताया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार कथित घटना 30.07.2023 को घटी थी, जबकि पीड़िता ने एफआईआर 01.03.2024 को दर्ज कराई, जो सात

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



महीने की अत्यधिक देरी थी और देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज उसके बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। उसकी चिकित्सा जांच में पीड़िता के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं पाई गई। पीड़िता के योनि स्मीयर के नमूनों में फोरेंसिक जांच के दौरान कोई मानव शुक्राणु नहीं पाया गया। कई व्यक्तियों ने संबंधित पुलिस अधीक्षक को शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि पीड़िता के पिता पिछले दस वर्षों से याचिकाकर्ता के खेतों की रखवाली करते थे और उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए याचिकाकर्ता से दो लाख रुपये लिए थे। जब याचिकाकर्ता ने पैसे वापस मांगे तो झूठे और निराधार आरोपों के साथ यह एफआईआर दर्ज कराई गई। 24.02.2024 को, एफआईआर दर्ज होने से पहले, आवेदक ने संबंधित एसएसपी के समक्ष एक आवेदन दिया था जिसमें उसने कहा था कि पीड़िता ने एसएसपी के समक्ष उसके खिलाफ बलात्कार का झूठा आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और न ही किसी ने ऐसी घटना देखी थी। आवेदक के खिलाफ झूठे और निराधार आरोप लगाए गए हैं और उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक 09.01.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पीड़िता ने मुकदमे के दौरान अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए अपने बयान में पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपनी मां के साथ संबंधित पुलिस स्टेशन गई थी लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद उसने संबंधित एसएसपी को अपना आवेदन दिया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान एफआईआर दर्ज की गई। जब आवेदक को पीड़ित द्वारा एसएसपी के समक्ष दायर किए गए आवेदन के बारे में पता चला, तो उसने दिनांक 24.02.2024 को संबंधित एसएसपी के समक्ष अपना आवेदन दायर किया, जिसमें उसने कहा कि पीड़ित ने उसके खिलाफ झूठे और निराधार आरोप लगाए हैं। जांच के दौरान आवेदक के खिलाफ पुख्ता और विश्वसनीय सबूत मिले, जिनके आधार पर आरोपपत्र तैयार किया गया। इस प्रकार, अपराध करने में आवेदक की सक्रिय भागीदारी है, इसलिए उसे किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच के दौरान आवेदक के विरुद्ध निर्णायक और विश्वसनीय साक्ष्य मिले, जिनके आधार पर आरोपपत्र तैयार किया गया, और इसके अलावा, पीड़ित ने मुकदमे के दौरान मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना अभियोजन पक्ष का समर्थन किया, जमानत का कोई मामला नहीं बनता है।

7. तदनुसार, आवेदक शिशुपाल सिंह की जमानत याचिका खारिज की जाती है।

8. हालांकि, निचली अदालत को निर्देश दिया जाता है कि वह सभी संभव प्रयास करे और मुकदमे को शीघ्रता से समाप्त करने का प्रयास करे।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

25 फरवरी, 2026

मुस्तकीम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।